प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 10.01.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण,चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दो ई-रिक्शा, लोहा, बैटरी, मोटर एवं अन्य सामान बरामद

घटना का विवरण: **दिनांक** 09.01.2026 **को थाना कविनगर पर दो अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा ई-रिक्शा चोरी की घटनाओं के संबंध में तहरीर दी गई। वादी श्री रमेश पुत्र जेठूराम, मोहन स्टील प्लॉट नं.** 109, **लोहामंडी, थाना कविनगर, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति उनका ई-रिक्शा** UP14QT0684, **जिसमें** 210 **किलोग्राम एमएस फ्लैट्स लोड थे, चोरी कर ले गया। वादी श्री प्रतीक मित्तल पुत्र श्री अजय मित्तल, निवासी मकान नं.** 13, **लक्ष्मी विहार, बसंत रोड, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति उनका ई-रिक्शा** UP14MT6560, **जिसमें लगभग** 1 **टन** APOllo **पाइप चैनल लोड था, चोरी कर ले गया। प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना कविनगर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।**

कार्यवाही का विवरण: घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया। लोकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन अभियुक्तों को मुखर्जी पार्क के पीछे, चौकी क्षेत्र लोहामंडी से गिरफ्तार किया गया: गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. जुनेद पुत्र साजिद, निवासी लाल मस्जिद के पास, बालाजी बिहार, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद, उम्र लगभग 20 वर्ष
2. समीर उर्फ बरु पुत्र सफीक, निवासी बालाजी विहार कॉलोनी, हिन्डन पुलिस चौकी के पीछे, थाना साहिबाबाद, उम्र लगभग 20 वर्ष
3. अमान पुत्र इकबाल, निवासी लाल मस्जिद के पास, बालाजी बिहार, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद, उम्र लगभग 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण: पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 07/08 जनवरी की रात को उन्होंने मिलकर लोहामंडी क्षेत्र, थाना कविनगर से अलग-अलग स्थानों से लोहा लदे दो ई-रिक्शा चोरी किए थे। चोरी के बाद वे दोनों ई-रिक्शा को बालाजी बिहार कॉलोनी ले गए और वहां खड़ा कर दिया। वे चोरी किए गए माल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। जब ग्राहक नहीं मिला तो किसी ने उन्हें बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में यह माल बिक सकता है। वे जब माल लेकर फैक्ट्रियों की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

बरामदगी:

- दो ई-रिक्शा
- लोहा का सामान
- एक ई-रिक्शा की बैटरी
- एक ई-रिक्शा का मोटर
- दो अदद पहिए मय रिम

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 05 सदस्य गिरफ्तार, 12 मोबाइल फोन, 01 चेक, 12 एटीएम कार्ड, 08 सिम कार्ड तथा हुंडई वेन्यू कार बरामद ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सदस्य अभियुक्त ऋषभ कुमार श्रीवास्तव, विनय गुप्ता, यशपाल वर्मा, आशीष पवार तथा हिमांशु त्यागी को साइबर अपराध में प्रयुक्त 12 मोबाइल फोन, 01 चेक, 12 एटीएम कार्ड, 08 सिम कार्ड तथा हुंडई वेन्यू कार के साथ थाना क्षेत्र नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया एवं 4 राज्यों की 4 घटनाओं का अनावरण किया गया है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने बताया कि सरवन तिवारी विक्की धवन , एवं हिमांशु चौधरी पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल सेन्टर चलाते थे। इनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कस्टमर का डाटा था। उसी डाटा का प्रयोग कर हम लोग कस्टमर को कॉल कर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर साइबर फ्रॉड करते हैं। सरवन तिवारी ने इन सभी अभियुक्तों से सम्पर्क कर साइबर फ्रॉड करने के लिए तैयार किया था। पांचों अभियुक्त सरवन तिवारी ,वीर ,विक्की धवन , बन्टी उर्फ डीडी तथा हिमांशु चौधरी के साथ मिलकर लोगों से बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर बात करते थे और बीमा पॉलिसी का भुगतान कराने तथा पॉलिसी में अधिक लाभ का झूठा लालच देकर विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराते थे। सरवन तिवारी, विक्की धवन, वीर, बन्टी उर्फ डीडी तथा हिमांशु चौधरी लोगों को पॉलिसी भुगतान की फर्जी रसीद भेजते थे। ऋषभ कुमार श्रीवास्तव ,आशीष पवार , विनय गुप्ता तथा हिमांशु त्यागी फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर कराने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराते थे और इन पैसों को चेक व एटीएम के माध्यम से निकालकर आपस में बांट लेते थे।

अभियुक्तों के पास से साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेक तथा सिम बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के पास से बरामद मोबाइल के कॉल लॉग से प्राप्त मोबाइल नम्बरों से महाराष्ट्र निवासी नवीन अग्रवाल के साथ 16680/ रुपये तथा महाराष्ट्र निवासी प्रमोद कुमार चौधरी के साथ 78000/- रुपये तथा छत्तीसगढ़ निवासी दिलेश्वर प्रसाद पटेल के साथ 95 लाख/- रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना ज्ञात हुई। अभियुक्तों से बरामद खातों की डिटेल तथा मोबाइल नम्बरों से इनके द्वारा कारित अन्य साइबर अपराध की घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **ऋषभ कुमार श्रीवास्तव तथा विनय गुप्ता वर्ष 2022 में थाना साइबर क्राइम सूरत गुजरात से साइबर अपराध की घटनाओं में जेल जा चुके हैं।**

इस गैंग के अन्य सदस्यों सरवन तिवारी ,विक्की धवन , हिमांशु चौधरी, वीर बन्टी उर्फ डीडी ,की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. ऋषभ कुमार श्रीवास्तव पुत्र रविशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी बी 994 हुमायूपुर उत्तरी गोरखनाथ थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर हाल पता आई 203 दीया ग्रीन सिटी, मोरटा थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।
2. विनय गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता निवासी बी 299 आवास विकास कालोनी सेक्टर 03 थाना सिकन्दरा जनपद आगरा हाल पता फ्लैट नं0 103 बिल्डिंग नं0 587 मयूर अपार्टमेंट, मैक्स हास्पिटल के पास सैक्टर 01 वैशाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष।
3. आशीष पवार पुत्र स्व0 सतीश पवार निवासी ग्रा0 मेघना सिवाली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर हाल पता ग्रा0 हिसाली, मुरादनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
4. हिमांशु त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी निवासी ए- 617 सेक्टर 11 विजयनगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
5. यशपाल वर्मा पुत्र शेषमुनि वर्मा निवासी ग्रा0 मिर्जापुर पचपिडवा, गोरखनाथ थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर हाल पता एक्स 48 सेक्टर 12 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी स्थान –

थाना क्षेत्र नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

12 मोबाइल फोन, 01 चेक, 12 एटीएम कार्ड, 08 सिम कार्ड तथा हुंडई वेन्यू कार बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा वाहनों की बैटरी चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिकअप की बैटरी व घटना में प्रयुक्त 01 ई रिक्शा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.01.2026 को वादी प्रेम कुमार कुशवाहा द्वारा थाना लिंकरोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी पिकअप गाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र के पास खड़ी थी उसकी बैट्री चोरी हो गयी है। जिसके क्रम में थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा वाहनों की बैट्री चोरी करने वाला 01 अभियुक्त कार्तिक राणा पुत्र राजेन्द्र राणा निवासी ऊना मण्डी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश हाल पता किरायेदार गली नं0-01 सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को बैट्री चोरी कर अपने ई-रिक्शा में ले जाते समय मेडिटेक कम्पनी के पास औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 303(2),317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैंने दिनांक 09.01.2026 को मेडिटेक कम्पनी 49/55 साइट-4 साहिबाबाद गाजियाबाद के सामने से एक पिकअप गाड़ी की बैट्री को चुरा लिया था तथा उसे बेचने के लिये जा रहा था तभी मुझे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- कार्तिक राणा पुत्र राजेन्द्र राणा निवासी ऊना मण्डी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश हाल पता किरायेदार गली नं0-01 सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पिकअप की बैटरी व घटना में प्रयुक्त 01 ई रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

दिनांक 25.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर वादी के साथ मारपीट करने , गाली गलौच करने, हवाई फायरिंग करने व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/125 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त हर्ष पुत्र काले मोटा उर्फ नरेन्द्र निवासी पंचवटी कालोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 9(1)A(1)/25(2) आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे दोस्त का वादी उपरोक्त के साथ ऑटो में से सवारी उतारने के दौरान झगडा हो गया था उसके बाद हमने वादी के घर के पास जाकर डराने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग कर दी थी जिसके बाद हमने तमंचे को नहर रोड पर अन्डर पास के समीप झाडियों में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

हर्ष पुत्र काले मोटा उर्फ नरेन्द्र निवासी पंचवटी कालोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 09.01.2026 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को मारपीट कर दहेज में कार की माँग करना, दहेज में कार की माँग पूरी न होने पर वादी की पुत्री को फांसी लगाकर मार देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.01.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मयंक पुत्र रामअवतार 2.व्यंक पुत्र रामअवतार 3.सीमा पत्नी रामअवतार निवासीगण आकाश नगर ननकागढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.मयंक (पति) पुत्र रामअवतार निवासी आकाश नगर ननकागढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद,उम्र 23 वर्ष।

2.व्यंक (जेठ) पुत्र रामअवतार निवासी आकाश नगर ननकागढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद,उम्र 31 वर्ष।

3.सीमा (सास) पत्नी रामअवतार निवासी आकाश नगर ननकागढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा फर्जी अपहरण की सूचना देकर रेलवे एवं डाकघर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 01अभियुक्त व 01 सह-अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का विवरण--दिनांक 08 जनवरी 2026 को एसीपी नंदग्राम महोदय को मोबाइल नंबर 8265851149 से संबंधित एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के क्रम में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा तत्काल नेहरू नगर क्षेत्र में सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया ही उक्त सूचना पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़ंत पाई गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजन शाक्य पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम बगराई, जनपद कासगंज एवं उसकी महिला सहयोगी लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी प्रसादी कुशवाहा, निवासी सागर (मध्य प्रदेश) द्वारा आपसी षड्यंत्र के तहत रेलवे एवं डाकघर में नौकरी दिलाने के नाम पर मंगेश कुमार एवं उनके पुत्र अश्मित से

₹5,68,000/- की धोखाधड़ी की गई थी तथा उन्हें फर्जी रेलवे ग्रुप-डी की नियुक्ति एवं जॉइनिंग लेटर प्रदान किया गया था।

धोखाधड़ी उजागर होने पर अभियुक्तों द्वारा स्वयं को बचाने एवं पुलिस कार्रवाई को भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने अपहरण की झूठी सूचना उच्च अधिकारियों को दिलवाई गई, ताकि मामले को उलझाया जा सके।जाचँ यह भी सामने आया कि अभियुक्त राजन शाक्य द्वारा पूर्व में भी एक भट्टा मालिक से ₹4.50 लाख, एक एनजीओ से ₹5 लाख तथा अन्य कई व्यक्तियों से रेलवे, डाकघर एवं अन्य सरकारी नौकरियों के नाम पर लाखों रुपये इसी प्रकार ठगे गए हैं। इस क्रम में थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 0015/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 212 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण राजन शाक्य एवं लक्ष्मी कुशवाहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य पीड़ितों से भी संपर्क किया जा रहा है तथा उनकी तहरीरों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:पूछताछ में अभियुक्त राजन शाक्य ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सह-अभियुक्ता लक्ष्मी कुशवाहा पत्नी प्रसादी कुशवाहा के साथ मिलकर वादी मंगेश कुमार के पुत्र अश्मित को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹5,68,000/- विभिन्न खातों में प्राप्त किए। अभियुक्तगणों ने मिलकर एक कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं जॉइनिंग लेटर प्रदान किया। स्वयं को बचाने एवं पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अभियुक्ता लक्ष्मी कुशवाहा द्वारा उच्चाधिकारियों को राजन शाक्य के अपहरण की झूठी सूचना दी गई

पूर्व में भी अभियुक्तगण द्वारा:

- एक भट्टा मालिक से ₹4,50,000/-
- एक एनजीओ से ₹5,00,000/-
- पंकज पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम खदाना, जिला बुलंदशहर से पोस्ट ऑफिस में नौकरी के नाम पर ₹20,000/-
- पिंटू कुमार पुत्र नौरंग, निवासी खेली भाव, थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्ध नगर से रेलवे में नौकरी के नाम पर ₹5,50,000/-
- सुल्तान खान से बच्चे की नौकरी के नाम पर ₹50,000/-की ठगी की गई है।

अभियुक्तों के नाम व पता:

1. **राजन शाक्य** पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम बगराई, पोस्ट बढ़ौला, थाना सिकंदरपुर वैश्य, जिला कासगंज, उम्र 28 वर्ष
2. **लक्ष्मी कुशवाहा** पत्नी प्रसादी कुशवाहा, निवासी नावल कॉलेज के पास, वार्ड नं. 9, सागर, मध्य प्रदेश

गिरफ्तार करने वाली टीम:थाना सिहानी गेट पुलिस टीम